हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HeroHousing Finance

पंजी. कार्यालय : 09 कम्यूनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
Ph: 011 49267000, Toll Free No: 1800 212 8800, Email: customer.care@herohfl.com
Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत

चूंकि, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने पहले ही नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में और अधिनियम के तहत नीचे दिए गए विवरण अनुसार संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ओं में वर्णित राशियों का भुगतान करने के लिए यहां नीचे सूचीबद्ध ("देयताएं(ओं)/कानूनी वारिस(यों)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) को संदर्भित सभी एकल या एक साथ") ऋणी(यों)/सह–ऋणी(यों)/गारंटर(ओं) को बुलाने के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे वर्णित मांग सूचनाएं जारी की थी। उक्त सूंचनाओं की प्रतियां पंजीकृत पोस्ट ए.डी. द्वारा दी चुकी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उक्त देयताएं(ओं)/कानूनी वारिस(यों)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं), यदि वे इच्छुक हैं, सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति एकत्र कर सकते हैं।

उक्त के संबंध में, एतद्द्वारा एक बार फिर, उक्त देयताएं(ओं)/कानूनी वारिस(यों)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) को उक्त देयता(ओं) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध और अन्य दस्तावेजों/लिखित, यदि कोई है के साथ पठित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक कॉलम (डी) में नीचे वर्णित संबंधित तिथियों से यहां वर्णित अनुसार भावी ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के विरूद्ध यहां नीचे निर्देशित राशियों का संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है। ऋण के देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों) को क्रमशः उक्त देयता(ओं) द्वारा एचएचएफएल को गिरवी रखी गई थी।

ऋण खाता सं.	देयता(ओं)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि के नाम	नीचे तिथियों अनुसार कुल बकाया देय रु.	मांग सूचना तिथि	एनपीए तिथि
HHFNSPHOU 20000010320	मोहम्मद इरफान, हुमा प्रवीण	12 जुलाई, 2022 तक रु. 19,70,338/–	14 जुलाई 2022	06 मई 2022

प्रतिभूतित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी संपत्तियों का विवरण : पहली मंजिल पर निर्मित के सभी भाग व पार्सल, सीलिंग लेवल के विस्तार तक छत अधिकारों के बिना, संपत्ति बियरिंग नं. 13–ए, खसरा नं. 1332/691/442, में से, गांव–उलधनपुर, ग्ली नं. 3, कांति नगर एक्स. इलाका शाहदरा दिल्ली 110051,**बिक्री डीड में वर्णित आनुपातिक भूमि अधिकार व कॉमन सुविधाओं और अन्य सुविधाओं सहित क्षेत्र 50 वर्ग यार्ड अर्थात् 41.8 र्ग मीटर उक्त संपत्ति के तहत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकरों के सहित सीमाएं : पूर्व : पैसेज 20 फुट चौड़ा, पश्चिम : दूसरों की संपत्ति, उत्तर : दूसरों की संपत्ति, दक्षिण : दूसरों की संपत्ति**

HHFDELHOU 19000001648	गुरमीत कौर, कमल सुरेंद्र कुमार का पुत्र	12 जुलाई, 2022 तक रु. 32,66,117/–	14 जुलाई 2022	7 जून 2022

प्रतिभूतित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी संपत्तियों का विवरण : पहली मंजिल पर निर्मित के सभी भाग व पार्सल, फ्रीहोल्ड संपत्ति बियरिंग न्यू नं. सी–53, और ओल्ड नं. डब्ल्यूजेड–271/सी–53 के छत/टेरिस अधिकारों के बिना, खसरा नं. 2739/616 मिन क भाग, गांव–बसई दारापुर, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली–110015 **क्षेत्र 63.1/4 वर्ग यार्ड बिक्री डीड में वर्णित आनुपातिक भूमि अधिकार व कॉमन सुविधाओं और अन्य सुविधाओं सहित सीमाएं : पूर्व : दूसरों की संपत्ति, पश्चिम : दूसरों की संपत्ति, उत्तर : गली 15 फुट, दक्षिण : दूसरों की संपत्ति**

HHFDELHOU 19000002268, HHFDELLAP 20000008461	मोहन चंद, दीपक सत्यवती, रोहित अत्यावली	12 जुलाई, 2022 तक रु. 14,83,249/–	14 जुलाई 2022	7 जून 2022

प्रतिभूतित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी संपत्तियों का विवरण : पहली मंजिल पर निर्मित के सभी भाग व पार्सल, छत अधिकारों के बिना, कॉमन पैसेज, स्टेयरकेस और मॉमटी पर वाटर टैंक के कॉमन स्पेस के साथ, संपत्ति बियरिंग नं. 650 ए (ओल्ड नं. 375) का भाग, खसरा नं. 361 में से, गांव सलीमपुर माजरा, मादीपुर, दिल्ली राज्य, ऋषि नगर के नाम से ज्ञात कॉलोनी, शकूर बस्ती, दिल्ली 110034 **क्षेत्र 50 वर्ग यार्ड अर्थात् 41.8 वर्ग मीटर उक्त संपत्ति के तहत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकारों के सहित, सीमाएं : पूर्व : दूसरों की संपत्ति पश्चिम : दूसरों की संपत्ति, उत्तर : गली 15 फुट दक्षिण : दूसरों की संपत्ति**

HHFNSPHOU 21000015741	मोहित नारंग, हेमलता पत्नी प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार	12 जुलाई, 2022 तक रु. 21,96,305/–	14 जुलाई 2022	4 जून 2022

प्रतिभूतित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी संपत्तियों का विवरण : संपत्ति बियरिंग म्यूनिस्पिल नं. ए–611, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 निर्मित फ्रीहोल्ड के भाग के छत अधिकारों के बिना ग्राउंड फ्लोर के सभी भाग व पार्सल, **क्षेत्र 50 वर्ग यार्ड अर्थात् 41.8 वर्ग मीटर उक्त संपत्ति के तहत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकारों के सहित, सीमाएं : पूर्व : संपत्ति का भाग, पश्चिम : गली, उत्तर : दूसरों की संपत्ति, दक्षिण : दूसरों की संपत्ति**

*उक्त वर्णित संबंधित मांग सूचना में विशेष रूप से वर्णित अनुसार दर पर आगे के ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, भुगतान की तिथि/या वसूली की तिथि तक आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्कों आदि सहित। यदि उक्त देयता(ओं) उपरोक्त अनुसार एचएचएफएल को भुगतान करने में असफल रहते हैं, तब एचएचएफएल लागतों व परिणाम अनुसार उक्त देयता(ओं)/कानूनी वारिस(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) व लागू नियमों के तहत उक्त प्रतिभूति परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों)के विरूद्ध कार्यवाही करेगा।

देयता(ओं)/कानूनी वारिस(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) एचएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिक्री, लीज या अन्यथा द्वारा उपरोक्त प्रतिभूति परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) को हस्तांतरण करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हैं। अधिनियम या उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों में किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप या उल्लंघन अधिनियम के तहत दिए गए अनुसार कारावास या जुर्माने का पात्र होगा।

दिनांक : 22.07.2022, स्थान : दिल्ली हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

दिनांक 10.08.2022 को सम्पत्ति की ई–नीलामी ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 06.08.2022

क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी दिल्ली, डीडीए बिल्डिंग–1, वर्धमान टॉवर, प्रथम तल, पारस सिनेमा के पास, नेहरू प्लेस–110019 ईमेल: rosdelrec@canarabank.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को बंधक/दृष्टिबंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिस पर केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, को **"जहां है जैसी है", "जो है क्या है" और जैसी है" के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की बिक्री आयोजित की जाएगी। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधीन**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, जेपी रॉयले, प्रथम तल, # 218, द्वितीय मेन सम्पीज रोड (14वीं क्रॉस के पास) मल्लेश्वरम बंगलौर– 560003, वेबसाइट – www.ccsl.co.in and https://indianbankseauction.com संपर्क व्यक्ति श्री प्रताप कांजीलाल/श्री डी.डी. पाखरे – 9832952602/8898418010 लैंड लाइन 080-23469665 ईमेल: ccsleauction@gmail.com or ccsl@ccsl.co.in या केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में दिए गए लिंक "ई–नीलामी" को देखें।

आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत की ईएमडी राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में या नीचे वर्णित खाता नं. में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रास्फर के माध्यम से जमा कराई जानी चाहिए।

प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर 05.08.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच सम्पत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	कर्जदार/गारंटर्स/बंधककर्ता का नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का विवरण और कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	क. आरक्षित मूल्य (रु.) ख. धरोहर राशि (रु.) ग. बोली वृद्धि (रु.) घ. बिक्री सूचना की तिथि	खाता नं. और IFSC कोड	ई–नीलामी की तिथि एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय
1	केनरा बैंक, ओखला औद्योगिक ईस्टेट शाखा (डीपी कोड–348)	1. मैसर्स आर.के. कंप्यूटर (उधारकर्ता) प्रोप. रवींद्र कुमार गुप्ता, एलएससी 115, प्रथम तल, डीडीए मार्केट, डी और ई पॉकेट, सरिता विहार, नई दिल्ली –110076 2. रवींद्र कुमार गुप्ता (प्रोपराईटर) मकान नं. 16ए, ब्लॉक एक्सटेंशन शिव दुर्गा विहार, फेज–1, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 3. रितु गुप्ता (गारंटर) मकान नं. 16ए, ब्लॉक एक्सटेंशन शिव दुर्गा विहार फेज–1, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा–121001	दुकान नं. 115, प्रथम तल, डीडीए मार्केट, पॉकेट डी और ई, सरिता विहार, नई दिल्ली–110076 में स्थित, (सरिता विहार पुलिस स्टेशन के पास) दुकान का क्षेत्रफल 17.91 वर्ग मी., चौहद्दी : उत्तर में – पार्किंग स्पेस, दक्षिण में – दुकान में प्रवेश, पूरब में – अन्य का दुकान, पश्चिम में – पश्चिम में – दुकान नं. 114 (भौतिक कब्जा)	रु. 18,98,871.60 दिनांक 11.10.2021 तक और दिनांक 12.10.2021 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	a. 29,00,000/- b. 2,90,000/- c. 10,000/- d. 21-07-2021	खाता नं. 209272434 IFSC कोड: CNRB0000348	10-08-2022 दोपहर 11.00 बजे से अपा. 01.00 बजे के बीच / 06.08.2022 अपा. 04.00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता किसी भी अन्य विवरण श्री कुलदीप सक्सेना, मोबाईल नं. 09871778772, शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, ओखला औद्योगिक ईस्टेट शाखा, नई दिल्ली, ईमेल cb19085@canarabank.com किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय घंटों के दौरान सम्पर्क कर सकते है।

दिनांक 21-07-2022, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष, नई दिल्ली
कंपनी याचिका सं0. (सीएए) 74/एनडी/2021
कंपनीज़ अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के मामले में
और
समामेलन की योजना के मामले में

मैसर्स "मनोज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड" (इसके बाद "हस्तांतरणकर्ता कंपनी" के रूप में संदर्भित) शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में 26 दिसम्बर, 1990 को निगमित किया गया था। हस्तांतरणकर्ता कंपनी की कोर्पोरेट पहचान संख्या U55100DL1990PTC042491। हस्तांतरणकर्ता कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी–212, हरि नगर, नई दिल्ली–110064 पर स्थित है।

(हस्तांतरणकर्ता कंपनी)
और

मैसर्स "रेल एंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" (इसके बाद "हस्तांतरिती कंपनी" के रूप में संदर्भित) शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में 11 दिसम्बर, 1998 को निगमित किया गया था। हस्तांतरिती कंपनी की कोर्पोरेट पहचान संख्या U74210DL1998PTC097413। हस्तांतरिती कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी–212, हरि नगर, नई दिल्ली–110064 पर स्थित है।

(हस्तांतरिती कंपनी)
और
उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों

याचिका की सूचना

कंपनीज़ अधिनियम, 2013, की धारा 230 से 232 के तहत, मनोज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरणकर्ता कंपनी") का रेल एंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी") के साथ और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना की स्वीकृति हेतु एक याचिका उपर्युक्त याचिकाकर्त्ता कंपनियों द्वारा 10 जून, 2022 को प्रस्तुत किया गया था और उक्त याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कपंनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 22 अगस्त, 2022 निर्धारित की गई हैं।

कोई व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध हेतु इच्छुक है तो वह अपने नाम तथा पते के साथ अपनी इरादे की सूचना याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को प्रेषित करे, जो कि याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन से ज्यादा विलम्ब से नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उक्त याचिका पर आपत्ति है तो आपत्ति के कारणों के साथ शपथपत्र इस सूचना के साथ संलग्न होनी चाहिए। याचिका की प्रति चाहने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकता है।

दिनांक: 21.07.2022 **हस्ता/–**
एन. के. शर्मा
(याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता)
सीएस–54 एंड 55, पहली मंजिल, अंसल प्लाजा, वैशाली गाजियाबाद–201010

kotak Kotak Mahindra Bank

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा(ईस्ट), मुंबई–400051
शाखा कार्यालय: 1/11, पहली मंजिल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
कॉर्पोरेट पहचान नंबर : L65110MH1985PLC038137, wwww.kotak.com

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवम पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के सह पठित नियम 9(1) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों), गारंटर(रों) और/या बंधकदाता(ओं) को नोटिस दिया जाता है, कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति(या) कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (''आरक्षित लेनदार'') के पास बंधक/प्रभार के अधीन रखी गई हैं, जिनका कब्जा आरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया है, उनकी ई–नीलामी के माध्यम से ''जैसी है उसी आधार पर'' और ''जिस अवस्था में है उसी आधार पर'' और ''उसमें जो कुछ भी है उसके साथ'' **30 अगस्त, 2022 को (अ) मैसर्स सनबीम फूड प्रोडक्स कंपनी के खाते में 30 सितंबर, 2020 तक देय रूपये 7,52,98,465.97/– (रूपये सात करोड़ बावन लाख अट्ठानबे हजार चार सौ पैंसठ और सत्तानबे पैसे मात्र) और (ब) मैसर्स ओम प्रकाश दिनेश कुमार के खाते में 30 सिम्बर 2020 तक देय रूपये 4,87,46,282.34 (रुपये चार करोड़ सत्तासी लाख छियासी हजार दौ सौ सत्तासी और चौतीस पैसा मात्र)** सहित आगे ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, आरक्षित लेनदार की हैसियत से उसे देय भुगतान प्राप्त होने तक चक्रवृद्धि ब्याज की संविदात्मक दरों पर, कर्जदार(रों), नामत: **1. मैसर्स सनबीम फूड प्रोड्क्स कंपनी और 2. मैसर्स ओम प्रकाश कुमार (कर्जदारों) और 3. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, 4. श्री मयंक बंसल, 5. श्रीमती मधु अग्रवाल, (गारंटरों और/या बंधककर्ताओं)** की वसूली के लिये बिक्री की जाएगी। नीलामी पर रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/विवरणों, आरक्षित मूल्य, अग्रिम जमा राशि और नीलामी की अनुसूची का नीचे उल्लेख किया गया है :

क्र. सं.	बंधककर्ता/ओं के नाम	ई–नीलामी के लिए रखी गई अचल/चल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (भारतीय रूपयों में) / अग्रिम राशि जमा
1.	मैसर्स सनबीम फूड प्रोडक्स कंपनी (श्री ओम प्रकाश की मालिकाना फर्म)	वह भूमि का प्लॉट यानी औद्योगिक प्लॉट सं. 63 ब्लॉक सं. बी में, फ्री होल्ड औद्योगिक निर्मित संपत्ति संग छत अधिकारों स्थित लॉरेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र के लेआऊट प्लान में दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली केनटोनमेंट बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सं. 451 दिनांकित 21–12–1972 और मापक 831 वर्ग गज सीमांकन निम्न प्रकार : उत्तर : प्लॉट सं. 65, पूर्व : रेल्वे लाइन, दक्षिण : प्लॉट सं. 64, पश्चिम : 7 फुट चौड़ी सड़क स्वामित्व संग सम्पूर्ण प्लांट और मशीनरी	रु. 11,50,00,000.00/– (रुपये ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र) / रु. 1,15,00,000.00/– (रुपये एक करोड़ पंद्राह लाख मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने विवेकाधिकार पर और संभावित खरीदारों के अनुरोध पर, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 17 अगस्त–2022 को अपाह्न 03:00 बजे से अपाह्न 04:30 बजे के बीच कथित संपत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:

1. ई–नीलामी वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से केवल ''ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' द्वारा **30 अगस्त 2022 को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 12:00** के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी। ई–नीलामी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी–1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा तल, प्लॉट सं. 68, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा, संपर्क व्यक्ति **श्री विनोद चौहान–98138–87931, ईमेल : ईमेल: delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com, हेल्पलाइन सं. +91–124 4302020/2021/2022/2023/204, सर्पोट मोबाइल सं. +91–7291981124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं।**
2. इच्छुक बोलीदाता नीलामी के विवरणों और बिक्री के नियमों और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html और/या https://auctions.kotak.com पर भी देख सकते हैं।
3. नीलामी की बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net के माध्यम से देखने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं पर कथित नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
4. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करना आवश्यक है।
5. बोली लगाने के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्रों में भरे जाने चाहिए और उन्हें 29 अगस्त 2022 या उससे पहले सांय 4:00 बजे तक पोर्टल पर बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेज़ों के साथ केवल ऑनलाइन प्रस्तुत/अपलोड किया जाएगा और विधिवत हस्ताक्षरित भरे गये बोली के प्रपत्र के साथ बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां Viswanadham.akondi@kotak.com और Vikram.sharma@kotak.com की ईमेल पर भेजी जानी चाहिए। बोलीदाता **''मैसर्स सनबीम फूड प्रोडक्स कम्पनी''** के खाते में संपत्ति की खरीद के लिए ईमेल का विषय लिखेगा।
6. भावी बोलीदाता लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए, मैसर्स सी–1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उपरोक्त संपर्क नंबरों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
7. अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/वित्त हस्तांतरण के माध्यम से खाता क्रमांक 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड: KKBK0000958 29 अगस्त 2022 को सांय: 04:00 बजे तक या उससे पहले जमा की जाएगी। एनईएफटी/आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर केवल इच्छुक बोलीदाता/ओं के खाते से किया जाएगा किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी जमा करने और/या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेजो को प्रस्तुत करने में विलंब के मामले में प्राधिकृत अधिकारी/बोली भागीदारी और पारस्परिक बोली प्रक्रिया को अधिकतम करने के लिए, अपने विवेकाधिकार पर और संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कट ऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकता है। ईएमडी राशि जमा किए बिना प्रस्तुत की गई कोई भी बोली स्वत: निरस्त हो जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली का मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगा और बोली की प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाता आगे की बोलियां 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे।
9. यदि ई–नीलामी की कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर कोई बोली लगाई जाती है, तब समापन का समय अपने आप बढ़ जाएगा और तुरंत उस समय को अन्य 5 मिनटों तक बढ़ा दिया जाएगा।
10. सफल बोली लगाने वाले को ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही के समापन पर या ई–नीलामी के दिन की समाप्ति के बाद अगले कार्यदिवस उच्चतम बोली राशि (पहले से ईएमडी का भुगतान शामिल है) का 25 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा, जैसा उपरोक्त रूप में निर्दिष्ट किया गया है। उच्चतम बोली की शेष राशि का 75 प्रतिशत उस तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा, जिस पर बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि कथित सफल बोलीदाता को की गई है या ऐसी विस्तारित अवधि पर, जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर होगी और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के तहत हो।
11. उच्चतम बोली लगाने वाले के पास संपत्ति पर कोई अधिकार और स्वामित्व नहीं होगा, जब तक उसके द्वारा पूरी नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों का भुगतान करने के बाद बिक्री प्रमाणपत्र उसके पक्ष में जारी नहीं किया जाता है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन की जाएगी और उस प्रभाव के लिए आरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी।
12. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी की राशि जमा करने में विफल रहता है, तब सफल बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता द्वारा न तो संपत्ति पर और न ही उसके द्वारा जमा की गई राशि पर दावा किया जाएगा। अधिकृत अधिकारी नीलामी की जाने वाली संपत्ति/यों के संबंध में उसके पास उपलब्ध सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी एक या उससे अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. ऊपर निर्दिष्टअवधि तक पूरा बिक्री प्रतिफल प्राप्त करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को ई भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
14. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम सेजारी किया जाएगा जिस नाम से बोली प्रस्तुत की गई है। बिक्री प्रमाण पत्र में किसी भी व्यक्ति(यों) के नाम शामिल किए जाने के लिए ऐसा कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा सिवाय बोली में उल्लिखित के नाम को छोड़कर।
15. असफल बोलीदाता को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा, उनके खातों में, आरटीजीएस/एनईएफटी/वित्त हस्तांतरण के माध्यम से, 10(दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
16. प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी बोली या अधिसूचित नीलामी बिक्री को स्वीकार करने या रद्द करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ई–नीलामी बिक्री को स्थगित करने/रद्द करने की स्थिति में, बोली प्रस्तुत करने के बाद, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोली रद्द कर दी जाती है, तब प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोलीदाता या अन्य पक्षों से बातचीत कर निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री कर सकता है।
17. यदि कोई बोलीदाता नीलामी के तहत 1 से अधिक संपत्ति के लिए बोली लगाने का इरादा रखता है, तब बोलीदाताओं को ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग–अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी।
18. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण का उल्लेख प्राधिकृत अधिकारी/आरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी में किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी/आरक्षित लेनदार इस उदघोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
19. कोई भी अन्य भार बैंक को ज्ञात नहीं हैं। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह स्थानीय प्राधिकरणों अर्थात् नगरपालिका करों, अनुरक्षण/सोसायटी प्रभारों, विद्युत और जल प्रभारों और अंतरण प्रभारों/शुल्क सहित किसी अन्य देय राशि या करों के बकायों के संबंध में स्वतंत्र जांच करे। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलामी की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी आरोप, ग्रहणाधिकार, बाध्यता, या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह सांविधिक देयताओं, संपत्ति कर के बकाये, विद्युत देय राशियों आदि सहित संपत्ति पर आने वाली बाध्यताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करे। इस मामले में, नीलामी की कार्यवाही के बाद कोई आदेश, बिक्री प्रमाण पत्र पंजीकरण तक के किसी भी चरण में और कब्जे को सौंपने के लिए, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकने के लिए सीमित नहीं है, बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या नुकसान और/या दावों के बिना अब तक जमा किए गए धन को वापस कर देगा और किसी भी प्रकार में संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
20. इस मामले में, बोलीदाता को आयोजित ई–नीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही को किसी भी न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जे को सौंपने तक के किसी भी चरण में रोक दिया जाता है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकने तक सीमित नहीं है, तो बोलीदाता को उसके द्वारा या किसी भी द्वारा जमा किए गए ईएमडी/राशि की वापसी का दावा करने का/संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर ब्याज का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या नुकसान और/या दावों के ज मा किए गए धन को वापस कर देगा और किसी भी प्रकार में संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. सभी सांविधिक देयताओं/पंजीकरण शुल्कों, स्टॉप शुल्कों, करो आदि का खर्च खरीदार को वहन करना होगा।
22. वर्तमान नोटिस के त हत संपत्ति की नीलामी बनाम बिक्री के संबंध में किये गय सभी खर्चे, शुल्क अर्थात् नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसायटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य देय राशि या करों सहित हस्तांतरण शुल्क पूर्ण रूप से सफल बोलीदाता/खरीदार द्वारा वहन किये जाएंगे।
23. अन्य सभी आकस्मिक शुल्क (जिसमें वर्तमान नीलामी के त हत संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रतिभूति शुल्क या रखर